...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

...स्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 10/2020

...ायर दिनांक – 11.03.2020

निर्णय दिनांक – 29.10.2021

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

जीसीएमएस नं0 –2020/00025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री रूपराज पुत्र भंवरलाल जाति रावत निवासी चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में खाता संख्या 146 के खसरा नं. 143, 143/1608, 426/1559, 427, 667, 668, 669, 670, 672, 871, 886, 887 में प्रार्थी का नाम सायर सिंह पुत्र ... के स्थान पर रूपराज पुत्र भंवरलाल दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 143, 143/1608, 426/1559, 427,

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 143, 143/1608, 426/1559, 427, 667, 668, 669, 670, 672, 871, 886, 887 कुल किता 12 कुल रकबा 2.51 हैक्टर आराजी जो कि प्रार्थी के पिता भंवरलाल पुत्र मल्ला के नाम खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थी के पिता भंवरलाल की मृत्यु होने के पश्चात ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा दिनांक 27.10.2010 को सजरा प्रमाण पत्र जारी कर तथा सजरा अनुसार राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल की विरासत दर्ज की गई। जिसमें प्रार्थी का नाम रूपराज पुत्र भंवरलाल के स्थान पर सायर सिंह पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1919 दिनांक 21.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **"ग्राम चावण्डिया के खाता संख्या 146 किता कुल खसरा 12 रकबा 2.51 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी सायरसिंह अर्थात रूपराज के सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासत प्रार्थी रूपराज का नाम सायरसिंह दर्ज किया गया है। प्रार्थी सायरसिंह को ग्राम में बोलचाल की भाषा सायरसिंह एवं रूपराज दो नामों से पुकारा जाता है। प्रार्थी सायरसिंह/रूपराज के पहचान संबंधित दस्तावेजों यथा पहचान–पत्र, जॉबकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में रूपराज दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सायरसिह दर्ज है। प्रार्थी के आवेदन अनुसार प्रार्थी के पहचान संबंधित दस्तावेजों के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में भी सायरसिंह पि. भंवरलाल के स्थान पर रूपराज पि. भंवरलाल दर्ज किया जाना उचित है।""**

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर))

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि रूपराज ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 146 कुल किता 12 कुल रकबा 2.51 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम सायर सिंह पुत्र भंवरिया के स्थान पर रूपराज पुत्र भंवरलाल का अंकन कर दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram
Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:09 IST
Reason: Self Attested

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चावण्डिया, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 146 के खसरा नं. 143, 143/1608, 426/1559, 427, 667, 668, 669, 670, 672, 871, 886, 887 में प्रार्थी का नाम सायर सिंह पुत्र भंवरिया के स्थान पर रूपराज पुत्र भंवरलाल (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट * पुष्कर (अजमेर) *

सत्यमेव जयते

29.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:09 IST
Reason: SelfAttested